

राजस्थान-सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक प.11(3)मो/परिसीमन/2015/140232-264

जयपुर, दिनांक 20/10/2016

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

विषय:- परिसीमन से संबंधित सूचना भिजवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले में विभिन्न बाल विकास परियोजनाओं में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का सैक्टरवार पुनर्निर्धारण कर परिसीमन किया जाना अपेक्षित है। अतः आप जिले की संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूचना निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर तीन दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें:-

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	पंचायत समिति के अन्तर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	पंचायत समिति में आने वाली बाल विकास परियोजनाओं के नाम	परियोजनाओं में आने वाले कुल केन्द्रों की संख्या

Sm
20/10/16
उप निदेशक (प्रशिक्षण),
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.11(3)मो/परिसीमन/2015/140232-264
प्रतिलिपि : एसीपी, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।

जयपुर, दिनांक 20/10/16

Sm
20/10/16
प्रभारी अधिकारी (मो)